



न्यायालय श्रीमान भू-राजस्व मण्डल न्यायज्ञ जवालिपर, भोपाल म.प्र.।

पुनर्स्थापन-4592/2018/रायसेन/अ ५१८

प्र. क्र. आर.-1149-पी. आर. बी./18
रायसेन,

जुली वर्गीस व अन्य,

----- आवेदकगण,

विरुद्ध,

श्रीमती डोली स्टुअर्ट,

----- अनपेक्षकगण,

आवेदक
अभिभाषक श्री राजेन्द्र
सोलंकी द्वारा।

भोपाल केन्द्र
में प्रस्तुत (राय-५६६)
24/07/18

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-35 भू-राजस्व संहिता।

-----0-----

आवेदक जुली वर्गीस की ओर से निम्न निवेदन है:-

- 1- यह कि उक्त प्रकरण क्र. 1149-पी. आर. बी./18 रायसेन आज दिनांक को सुनवाई हेतु नियत था।
- 2- यह कि आवेदक/अधिवक्ता के छ वाहन खराब होने व वर्गीस अधिक होने से घेरी के कारण अदम घेरी में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण खारिज कर दिया गया है।
- 3- यह कि उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त पेपर प्रकाशन हेतु नियत था।

//प्रार्थना//

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि आवेदिका का प्रकरण पुनः नम्बर पर लिए जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान करें।

भोपाल, दिनांक 24.07. 2018

आवेदिका,
द्वारा:- अधिवक्ता,
श्री राजेन्द्र सोलंकी

(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/रेस्टो./रायसेन/भू.रा./2018 / 4592 [शुद्धी/डोली]

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

25-7-2018

आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र सोलंकी, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें पुर्नस्थापन आवेदन पत्र पर सुना गया । पुर्नस्थापन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है । मूल प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/1149 सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाता है । यह पुर्नस्थापन प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

अध्यक्ष